प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी–प्रशासन
हरिद्वार।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा0 एन0जी0टी0,
नई दिल्ली।

पत्रांकः 643 /एल0बी0ए0–2024 दिनांकः 05 अप्रैल, 2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन के संबंध में है।

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक–464/एल0बी0ए0–2024 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर हरिद्वार को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 जो कि "5. It is undisputed that the untreated sewage of eight drains in Jagjeetpur is directly discharged in river Solani. The State of Uttarakhand in its reply will also indicate the proposed plan to tap these drains expeditiously within a time bound manner." के अनुपालन में वांछित आख्या इस कार्यालय को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

1– उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर हरिद्वार के कार्यालय पत्रांक–849/एन0जी0टी0/42 दिनांक 20.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि आई एण्ड डी0 रूडकी के अन्तर्गत 8 नाला टैपिंग के कार्य प्रस्तावित है एवं नालों के श्राव के शोधन हेतु एस0टी0पी0 का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु सिंचाई विभाग, उत्तरप्रदेश से भूमि हस्तान्तरित होना अपेक्षित है। भूमि हस्तान्तरण के पश्चात ही प्राक्कलन उच्चाधिकारियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना सम्भव हो सकेगा।(संलग्नक–1)

इस कार्यालय के पत्र संख्या–362/एल0बी0ए0–2024 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड (गंग) नहर रूडकी, सिंचाई विभाग (उत्तर प्रदेश) को मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन में वांछित आख्या/NOC एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

2– उपरोक्त के संबंध में अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कार्यालय पत्रांक–635/उखगनरू/अनापत्ति, दिनांक 12.03.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर हरिद्वार के पत्र संख्या–1948/कार्य–25/28, दिनांक 25.08.2023 में सोलानी नदी में मिलने वाले नालों के दूषित जल के उपचार हेतु एस0टी0पी0 निर्माण के लिये प्रस्तावित भूमि का दिनांक 01.08.2023 को उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त सहायक अभियन्ता–तृतीय, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी द्वारा प्रेषित पत्र संख्या–359/स0अ0–03/एन0ओ0सी0–एस0टी0पी0 दिनांक 11.10.2023 एवं 79/एसटीपी सोलानी दिनांक 26.02.2024 से उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार प्रस्तावित कुल भूमि 2.20 है0 भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

1–सोलानी नदी पर निर्मित एक्वाडक्ट से नदी के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा नं0–254–2.0 है0 भूमि।

2–सोलानी नदी पर निर्मित एक्वाडक्ट से नदी के डाउनस्ट्रीम में आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप ग्राम मलकपुर लतीफपुर के खसरा नं0–34–0.20 है0 भूमि।

उक्त दोनों प्रस्तावित भूमि के संबंध में प्रेषित आख्या के अनुसार संयुक्त निरीक्षण के समय यह अवगत करा दिया गया था कि उपरोक्त दोनों स्थल नदी के बहाव क्षेत्र में आते है। बाढकाल में सोलानी नदी में आने वाले अत्यधिक जल प्रवाह से जान माल के नुकसान के साथ–साथ राजकीय सम्पत्ति की हानि होने की पूर्ण सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भूमि पर एस0टी0पी0 निर्माण किया जाना उचित नहीं होगा। यह भी अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1743/वी–2/58(आ0)/14/2016, दिनांक 14.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्देशित आदेशों ''गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के मध्य से 200 मी0 तक के क्षेत्र को प्रतिबन्धित जोन निर्धारित किया गया है। उक्त क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में तटबन्ध/बाढ प्रबन्धन, वृक्षारोपण, घाट निर्माण व नदी तटीय निर्माण कार्य ही अनुमन्य होंगे'' के अनुसार भी उक्त प्रस्तावित स्थलों पर एस0टी0पी0 निर्माण कराया जाना उचित नहीं है।

उक्त के दृष्टिगत राजकीय सम्पत्ति एवं जन हानि होने की सम्भावना तथा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार उक्त दोनों प्रस्तावित स्थलों पर एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अनापत्ति दिया जाना राजकीय एवं जनहित में उचित नही है। उपरोक्त दोनों प्रस्तावित स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।(संलग्नक–2)

अतः अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का पत्र दिनांक 12.03.2024 की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय,

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।
05/04/24

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

2– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3– Shri. Rahul Verma, Advocate (L.L.M.), Supreme Court Of India, Additional Advocate General, State Of Uttarakhand/Respondent, 137, Tower No. 10, Supreme Enclave, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 Mobile No. 9717706032

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, पोस्ट–कनखल
हरिद्वार–249408

Office of Project Manager
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Email:-pmcivilgangahrd@gmail.com

Letter No. 849 / NGT / 42 date 20/3/2024 Through - Email/Post (Reg.)

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी वि0 / रा0
हरिद्वार।

विषय :— माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 464 / एल०बी०ए०–2024 दिनांक 11.03.2024 के क्रम मे मा० एन०जी०टी० मे योजित मूल आवेदन संख्या 632 / 2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 जो कि **"It is undisputed that the untreated sewage of eight drains in Roorkee is directly discharged in river Solani. The State of Uttarakhand in its reply will also indicate the proposed plan to tap these drains expeditiously within a time bound manner."** के अनुपालन मे अवगत कराना है कि आई0 एण्ड डी0 रूड़की के अन्तर्गत 8 नाला टैपिंग के कार्य प्रस्तावित है एवं नालों के श्राव के शोधन हेतु एस०टी०पी० का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु सिचाई विभाग, उत्तरप्रदेश से भूमि हस्तान्तरित होना अपेक्षित है। भूमि हस्तान्तरण के पश्चात ही प्राक्कलन उच्चाधिकारियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

भवदीया,
20/03/24
(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजना प्रबन्धक
O/C AE/Z PE

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि

1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, रूड़की।
3. महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
4. इं० आनन्द सिंह बिष्ट, परियोजना अभियन्ता / इं० प्रवेश कुमार, अपर परियोजना अभियन्ता (इकाई अन्तर्गत)।

20/03/24
परियोजना प्रबन्धक
O/C AE/Z PE

"जल संचय–जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदूशित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी– जल स्त्रोतों को प्रदूशित करना दण्डनीय अपराध है।

9/04/2024
प्रपत्र किया

604

3364/ERK

04 LBA

उत्तर प्रदेश सरकार
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of The Executive Engineer
उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी
Northern Division Ganga Canal, Roorkee

गंगोत्री भवन कैम्पस, मलकपुर चुंगी, रूडकी
Gangotri Bhavan Campus, Malakpur Chungi, Roorkee-247667
E.mail:- eendgcrke@gmail.com

पत्रांक 635 /उखगनरू/अनापत्ति, दिनांक 12/03/2024

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या 362/एल0बी0ए0–2024, दिनांक 22.02.2024

जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके द्वारा आपने मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 की अनुपालना हेतु प्रस्तावित भूमि परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम जगजीतपुर हरिद्वार को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने हेतु इस खण्ड को निर्देशित किया है। इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर हरिद्वार के पत्र संख्या 1948/कार्य–25/28, दिनांक 25.08.2023 में सोलानी नदी में मिलने वाले नालों के दूषित जल के उपचार हेतु एस0टी0पी0 निर्माण के लिये प्रस्तावित भूमि का दिनांक 01.08.2023 को उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से किये गये स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरान्त सहायक अभियन्ता–तृतीय, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 359/स0अ0–03/एनओसी–एसटीपी, दिनांक 11.10.2023 एवं 79/एसटीपी सोलानी, दिनांक 26.02.2024 से उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार प्रस्तावित कुल भूमि 2.20 है0 भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. सोलानी नदी पर निर्मित एक्वाडक्ट से नदी के अपस्ट्रीम में मच्छी मौहल्ला के समीप खसरा न0 254–2.0 है0 भूमि।
2. सोलानी नदी पर निर्मित एक्वाडक्ट से नदी के डाउनस्ट्रीम में आदर्श नगर सोलानी नदी के समीप ग्राम मलकपुर लतीफपुर के खसरा न0 34–0.20 है0 भूमि।

उक्त दोनों प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में प्रेषित आख्या के अनुसार संयुक्त निरीक्षण के समय यह अवगत करा दिया गया था कि उपरोक्त दोनों स्थल नदी के बहाव क्षेत्र में आते है। बाढकाल में सोलानी नदी में आने वाले अत्यधिक जल प्रवाह से जान माल के नुकसान के साथ–साथ राजकीय सम्पत्ति की हानि होने की पूर्ण सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भूमि पर एस0टी0पी0 निर्माण किया जाना उचित नही होगा। यह भी अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश 1743/वी–2/58(आ0)/14/2016, दिनांक 14.12.2016 (छायाप्रति संलग्न) एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्देशित आदेशों **"गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के मध्य से 200 मी0 तक के क्षेत्र को प्रतिबन्धित जोन निर्धारित किया गया है। उक्त क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में तटबन्ध/बाढ प्रबन्धन, वृक्षारोपण, घाट निर्माण व नदी तटीय निर्माण कार्य ही अनुमन्य होंगे"** के अनुसार भी उक्त प्रस्तावित स्थलों पर एस0टी0पी0 निर्माण कराया जाना उचित नही है।

अतः उक्त के दृष्टिगत राजकीय सम्पत्ति एवं जन हानि होने की सम्भावना तथा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार उक्त दोनों प्रस्तावित स्थलों पर एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अनापत्ति दिया जाना राजकीय एवं जनहित में उचित नही है। उपरोक्त दोनों प्रस्तावित स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि पर कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराने पर विचार किया जा सकता है।

आदर सहित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की

पत्रांकः /उखगनरु/तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर संचालन मण्डल, मेरठ।
2. परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम जगजीतपुर, हरिद्वार।
3. सहायक अभियन्ता–तृतीय, उत्तरी खण्ड गंगा नहर, रूडकी।

अधिशासी अभियन्ता
उत्तरी खण्ड गंगा नहर रूड़की

(2)

संख्या–1743/V–2/58(आ0)14/2016

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2– उपाध्यक्ष,
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

विषय– मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के क्रम में मैदानी क्षेत्रों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे अपेक्षित रेग्यूलेशन पोलिसी, निर्माण कार्य हेतु गाईडलाईन्स एवं बाईलॉज निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल में पारित आदेशों के क्रम में मैदानी क्षेत्रों में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के तटीय विकास/निर्माण निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

मैदानी क्षेत्र

(अ)– **प्रतिबन्धित जोन**– मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के मध्य से 200 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबन्धित जोन निर्धारित किया गया है। उक्त क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्ध, वृक्षारोपण, घाट निर्माण व नदी तटीय विकास/निर्माण कार्य अनुमन्य होंगे।

नोट– उक्तानुसार परिभाषित प्रतिबन्धित जोन का निर्धारण सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा।

(ब)– रेग्यूलेटरी जोन– मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा गंगा नदी एवं इसकी सहायक नदियों के मध्य से 200 मीटर से अग्रेत्तर 300 मीटर तक के क्षेत्र को रेग्यूलेटरी जोन निर्धारित किया गया है।

(1) नदी के तट से 30.0–30.0 मीटर तक का क्षेत्र अथवा ऐसे क्षेत्र, जो पच्चीस साल तक के अन्तराल के आधार पर (flood upto 25 year frequency) बाढ़ प्रभावित हों, में से जो भी अधिक होगा, में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। रेग्यूलेटरी जोन वृक्षारोपण/पार्क/मैदान/कृषि आदि तत्संबंधी गतिविधियों हेतु आरक्षित होगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर आहुत होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थायी निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्देशानुसार होगा तथा उक्त का परीक्षण उत्तराखण्ड पेयजल निगम से कराया जायेगा।

(2) उक्त के अतिरिक्त अवशेष रेग्यूलेटरी क्षेत्र में निम्न निर्माण/पुननिर्माण निर्धारित प्रतिबन्धों की सीमा तक अनुमन्य होंगे:–

(i) मठ, आश्रम एवं मन्दिर का निर्माण निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होगा:–

(अ) भू–आच्छादन–35 प्रतिशत,

(ब) तल क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0)–1.5,

(स) भवन की अधिक ऊँचाई 7.5 मीटर अथवा दो मंजिल,

(1)

(द) क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था हेतु मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार कार्यवाही उपरान्त प्रस्तावित निर्माण अनुमन्य किया जायेगा,

(ii) इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में है, की विद्यमा भू–आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 की सीमा तक, परन्तु अधिकतम 7.50 मीटर ऊँचाई व सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्थ उपलब्ध हो।

नोट– .

- निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम प्लिन्थ लेवल 1.00 मीटर होगा।
- क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था के संबंध में मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

(स)– स्कैप चैनल– सर्वानन्द घाट से शमशान घाट खड़खड़ी व हर की पैड़ी से होते हुए डामकोठी तक व डामकोठी के पश्चात सतीघाट कनखल होते हुये दक्ष मंदिर तक बहने वाले भाग को स्कैप चैनल माना जाता है। उक्त क्षेत्र में जल प्रवाह नियन्त्रित होने के फलस्वरूप बाढ़ से प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है। अतः मात्र प्रदूषण के विषय पर नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु इस क्षेत्र में निर्माण की अनुमति, स्थल पर सीवरेज की समुचित व्यवस्था प्राधिकरण स्तर से सुनिश्चित करवाते हुए दी जायेगी।

2– गंगा नदी के किनारे निर्माण/प्रतिबन्ध से सम्बन्धित पूर्व के समस्त शासनादेशों को भी तत्काल प्रभाव से अवक्रमित किया जाता है।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव

संख्या– 1743 /V–2/58(आ0)14/2016–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः–

1– अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3– जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4– मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून।
5– महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
उप सचिव

अनुस्मारक–1/महत्वपूर्ण/समयबद्ध मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्या 464 /एल0बी0ए0–2024 दिनांकः 11 मार्च, 2024

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के संबंध में।

1– ज्वाईन्ट मजिस्ट्रेट, रूडकी।
2– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरिद्वार/रूडकी।
3– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, हरिद्वार।
4– मुख्य अभियन्ता स्तर–II सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड हरिद्वार।
5– अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादराबाद, हरिद्वार।
6– अधिशासी अभियन्ता उत्तरी खण्ड गंग नहर, रूडकी।

उपरोक्त विषयक श्री राहुल वर्मा Advocate (LL.M.) Supreme Court of India Additional Advocate General State of Uttarakhand द्वारा ई–मेल से प्रेषित पत्र दिनांक 06.02.2024 जो कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित Original Application No.-632/2022 V.K. Tyagi Versus State of Uttarakhand के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन के संबंध में हैं। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 29.01.2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया हैः–

1. The issue involved in this Original Application relates to encroachment for cultivation on the land of river Solani, a tributary of river Ganga, which is obstructing its flow. further grievance is about discharge of untreated sewage in river Solani which is creating health hazards and converting the river into a drain.

2. Additional reply by way of affidavit on behalf of District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand, in compliance of orders of the NGT dated 05.07.2023 and 10.10.2023, has been filed which reveals that there are eight nallahs in Jagjeetpur which are untapped and discharging untreated sewage in the river. As per the report, one STP of 20 MLD capacity near Machhi Mohalla and another STP of 2 MLD capacity near Adarsh Nagar has been proposed and some process has been initiated for that but in the report no concrete plan for starting or completing the construction of the STPs has been disclosed. The report further states that the work of survey of flood plain zone on the river Solani has been done and the workshop is proposed to be done in the first week of the month and after that demarcation work of flood frequency for different periodic of 5 years, 10 years, 25 years, 50 years, 100 years will be done and all these work will be completed till March, 2024.

3. Learned Counsel for the State of Uttarakhand has submitted that within a month, the work of demarcation of flood plain zone of river Solani within the State of Uttarakhand will be completed.

4. Hence, we direct Engineer-in-Chief of Irrigation Department of State of Uttarakhand to file an affidavit within one week by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF clearly stating that the work of the completion of demarcation of flood plain zone will be completed by 31.03.2024.

5. It is undisputed that the untreated sewage of eight drains in Jagjeetpur is directly discharged in river Solani. The State of Uttarakhand in its reply will also indicate the proposed plan to tap these drains expeditiously within a time bound manner.

6. Mr. Vikas Tyagi, Executive Engineer, Irrigation Department has appeared online by submitting that he is appearing for Respondent No. 7. Respondent no. 7 is the Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh. On the previous date on 10.10.2023, the Counsel for Respondent Nos. 7 to 9 had sought time to file response. No response has been filed on behalf of respondent no. 7. Page 241 of the paper-book has been referred by the Executive Engineer as also Counsel for the State submitting that it is response of the respondent no. 7 but on perusal thereto, we do not find it to be the response as Page 241 appears to be some unsigned, undated note and page 242 and 243 are some internal correspondences. Hence, the previous order of the Tribunal has not been complied with. Learned Counsel for State of UP submits that he is representing respondent no. 7.

The Tribunal does not appreciate the practice of any Officer appearing at the instance of any other Officer and making the submission without Tribunal's direction though the concerned impleaded Officer is already represented though the Counsel. Learned Counsel for respondent no. 7 submits that response on behalf of respondent no. 7 will be filed within one week.

7. The response of NMCG has been filed stating the following:-

"5. That the concerned activities along the Sonali river falls under the administrative control and maintained by the Irrigation department of the State of U.P. However, over a period of time, the direction of river flow has moved towards agricultural land belonging to the private individual person.

6. That the State Government may take necessary steps for Interception & Diversion (I&D) of the above mentioned drains to the existing STP as the existing STP in Roorkee is hardly getting 20% of its design capacity flows at present.
7. That as regards the floodplain zonation, the necessary steps may also be taken by the State Government."
8. It will be open to the State Authorities to duly consider the response of the NMCG and take appropriate remedial action and also to file their proposed action/action taken report in pursuance to the response of the NMCG.
9. List this matter on 10.04.2024.

प्रश्नगत प्रकरण में अगली सुनवाई हेतु दिनांक 10.04.2024 नियत हैं। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार वांछित रिपोर्ट/आख्या एक सप्ताह के भीतर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समयान्तर्गत सूचना मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की जा सकें।

संलग्न–यथोक्त।

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सदस्य सचिव मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गौरा देवी पर्यावरण भवन 46 बी, आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।
2– नगर आयुक्त, नगर निगम रूडकी।
3– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, जगजीतपुर, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 जो कि "It is undisputed that the untreated sewage of eight drains in Jagjeetpur is directly discharged in river Solani. The State of Uttarakhand in its reply will also indicate the proposed plan to tap these drains expeditiously within a time bound manner." के अनुपालन के संबंध में प्रति शपथ पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही Action Taken Report भी अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4– क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी।

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।
11/03/24

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

पत्रांकः 362 /एल0बी0ए0–2024 दिनांकः 22 फरवरी, 2024

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन के संबंध में।

1– अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा),
उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार।
2– अधिशासी अभियन्ता, उत्तरी खण्ड (गंग) नहर रूडकी,
सिंचाई विभाग (उत्तर प्रदेश)

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–632/2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन के संबंध में परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम जगजीतपुर हरिद्वार के पत्र संख्या–497/कार्य–25/08 दिनांक 20.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आई0 एण्ड डी0 रूडकी के अन्तर्गत 8 नाला टैपिंग के कार्य प्रस्तावित है एवं नाला के श्राव के शोधन हेतु एस0टी0पी0 का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश से भूमि हस्तान्तरित होना अपेक्षित है। भूमि हस्तान्तरण के पश्चात ही प्राक्कलन उच्चाधिकारियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

2– नगर निगम रूडकी में सोलानी नदी में गिर रहे नालो के श्राव के शोधन हेतु सालियर स्थित 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता को उपयोग में लाये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार से अनापत्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम जगजीतपुर हरिद्वार का पत्र दिनांक 20.02.2024 की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप भूमि हस्तान्तरण एवं अनापत्ति एक सप्ताह के भीतर परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम जगजीतपुर हरिद्वार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

संलग्न–यथोक्त।

(पी0एल0 शाह)
अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।
दि0 22/02/24

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
3– परियोजना प्रबन्धक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) उत्तराखण्ड पेयजल निगम जगजीतपुर हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त विभागों से भूमि हस्तान्तरण एवं अनापत्ति के संबंध में आख्या जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ताकि समयान्तर्गत अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 को उपलब्ध करायी जा सकें।

अपर जिलाधिकारी–प्र0
हरिद्वार।
दि0 22/02/24

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, पोस्ट–कनखल
हरिद्वार–249408

Office of Project Manager
Construction & Maintenance Unit (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408

Email:-pmcivilgangahrd@gmail.com

Letter No. 497 / का0 24-25 / 08 date 20/2/2024 Through - Email/Post (Reg.)

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी वि0 / रा0
हरिद्वार।

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मे योजित मूल आवेदन संख्या 632 / 2022 वी0के0 त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 253 / एल०बी०ए०–2024 दिनांक 09.02.2024 के क्रम मे मा० एन०जी०टी० मे योजित मूल आवेदन संख्या 632 / 2022 वी०के० त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 के अनुपालन मे अवगत कराना है कि आई0 एण्ड डी0 रूड़की के अन्तर्गत 8 नाला टैपिंग के कार्य प्रस्तावित है एवं नालों के श्राव के शोधन हेतु एस०टी०पी० का निर्माण किया जाना है, जिस हेतु सिचाई विभाग, उत्तरप्रदेश से भूमि हस्तान्तरित होना अपेक्षित है। भूमि हस्तान्तरण के पश्चात ही प्राक्कलन उच्चाधिकारियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल मॉनिटिरिंग कमेटी द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में रूड़की नगर में सोलानी नदी में गिर रहे नालों के श्राव के शोधन हेतु सालियर स्थित 33 एम०एल०डी० एस०टी०पी० की उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता को उपयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार द्वारा अपने पत्रांक 2050 / रूड़की जलो०यो० / 2023–24 दिनांक 02.02.2024 के माध्यम से एस०टी०पी० की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देने में असमर्थता जतायी है। महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार के पत्रांक 411 / कार्य–15 / 03 दिनांक 07.02.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा जो कि इस कार्यालय को सम्बोधित है तथा जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को पृष्ठाकिंत है, के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार को अनापत्ति दिये जाने हेतु निर्देशित करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः निवेदन है कि उक्त के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करना चाहेगें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
20/02/24
(मीनाक्षी मित्तल वशिष्ठ)
परियोजना प्रबन्धक
o/c ASK PE

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि

1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, रूड़की।
3. महाप्रबन्धक, निर्माण मण्डल (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
4. इं० आनन्द सिंह बिष्ट, परियोजना अभियन्ता /इं० प्रवेश कुमार, अपर परियोजना अभियन्ता (इकाई अन्तर्गत)।

20/02/24
परियोजना प्रबन्धक
o/c ASK PE

संलग्नक –1

कार्यालय महाप्रबन्धक
निर्माण मण्डल (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
जगजीतपुर, पोस्ट–कनखल
हरिद्वार–249408

*Office of General Manager
Construction Circle (Ganga)
Uttarakhand Peyjal Nigam,
Jagjeetpur, Post-Kankhal,
Haridwar-249408*

Email:-gmgangahw@gmail.com

Letter No. 611 / कार्य-15 / 03 date 07/02/2024

परियोजना प्रबन्धक,
निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा)
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
हरिद्वार।

विषय :– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या OA No. 632 of 2022 वी0के0 त्यागी बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड में पारित आदेश के अनुपालन में रूडकी नगर में स्थित सोलानी नदी में गिरने वाले नालों के श्राव को 33 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0पी0एस0/ एस0टी0पी0 पर डायवर्ट किये जाने के सम्बन्ध में।**

1. उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 355/कार्य–25/04 दिनांक 05.02.2024 जो कि इस कार्यालय को सम्बोधित एवं अन्य के साथ जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को भी पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें।
2. आपके पत्र के साथ संलग्न परियोजना प्रबन्धक, यू0यू0एस0डी0ए0, देहरादून के पत्रांक यू0यू0एस0डी0ए0 /ए–463/86 दिनांक 23.01.2024 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि रूडकी सीवेज प्रणाली 02 जोन (जोन–ए एण्ड जोन–बी) में विभाजित है। जोन बी को 10 सबजोन में विभाजित किया गया है जिनमें से मात्र 03 सबजोन (बी–2, बी–3 एवं बी–4) मे पूर्ण रूप से सीवेज प्रणाली बिछायी गयी है तथा 01 सबजोन बी–5 में आंशिक सीवेज प्रणाली बिछायी गयी है।
3. रूडकी में स्थापित 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 सम्पूर्ण जोन–बी के समस्त 10 सबजोन हेतु आगामी 15 वर्ष (वर्ष 2036) हेतु 33 एम0एल0डी0 क्षमता निर्मित की गयी है। इस प्रकार स्थापित 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 को फीड किये जाने वाले प्रस्तावित 10 सबजोन के सापेक्ष मात्र 3.5 सबजोन (सबजोन बी–2, बी–3 एवं बी–4 में पूर्ण रूपेण तथा बी–5 में आंशिक) में ही सीवर प्रणाली बिछायी गयी है तथा अवशेष लगभग 6.5 जोन में सीवर प्रणाली नहीं बिछायी गयी है। इस प्रकार एस0टी0पी0 रूडकी की कुल क्षमता 33 एम0एल0डी0 के सापेक्ष लगभग 10–11 एम0एल0डी0 श्राव हेतु ही सीवेज प्रणाली बिछी है। आपके द्वारा पूर्व में अवगत भी कराया गया है कि एस0टी0पी0 रूडकी पर 33 एम0एल0डी0 के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 6–8 एम0एल0डी0 सीवेज ही पहुंचता है। ए0डी0बी0 रूडकी के स्तर से वर्तमान में रूडकी सीवरेज योजना में अन्य सीवर लाईन बिछाये जाने का भी कार्य गतिमान नहीं है।
4. इस प्रकार अवस्थित 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 की वर्तमान में अप्रयुक्त क्षमता (लगभग 25 एम0एल0डी0) का उपयोग रूडकी में सोलानी नदी में गिर रहे नालों की टेपिंग के श्राव के शोधन हेतु किया जाना सर्वथा व्यवहारिक एवं मितव्ययी है।
5. आपके उक्त पत्र दिनांक 05.02.2024 के साथ संलग्न उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्र में रूडकी नगर सीवरेज नेटवर्क के सम्बन्ध में जांच समिति की रिपोर्ट अप्राप्त होना उल्लेखित है जिसका एस0टी0पी0 की अप्रयुक्त क्षमता को नाला टैपिंग के श्राव के शोधन हेतु प्रयोग किये जाने/न किये जाने से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है।
6. इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर जिलाधिकारी, हरिद्वार स्तर से उत्तराखण्ड जल संस्थान को रूडकी एस0टी0पी0 उपरोक्तानुसार अप्रयुक्त क्षमता को रूडकी में सोलानी नदी में गिर रहे नालों की टेपिंग के श्राव के शोधन हेतु प्रयोग किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने हेतु यथोचित निर्देश निर्गत कराना सुनिश्चित करें।

7/2/24
(आर0के0 जैन)
महाप्रबन्धक

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड जल संस्थान हरिद्वार को रूडकी स्थित 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जिसमें वर्तमान में मात्र 6–8 एम0एल0डी0 सीवेज ही प्राप्त हो रहा है की अनप्रयुक्त क्षमता का उपयोग रूडकी में सोलानी नदी में गिर रहे नालों की टेपिंग के श्राव के शोधन हेतु प्रयोग किये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को अनापत्ति दिये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगे ताकि अवस्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर (एस0टी0पी0) का समुचित प्रयोग हो सके तथा अनावश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर (एस0टी0पी0) निर्मित ना हो।
2. अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण शाखा (गंगा), उत्तराखण्ड जल संस्थान, हरिद्वार को उनके उक्त पत्र 2050/रूडकी जलो0यो0/2023–24 दिनांक 02.02.2024 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि वे उपरोक्त के आलौक्य में अपने पत्र 2050/रूडकी जलो0यो0/2023–24 दिनांक 02.02.2024 पर पुनःविचार करते हुए रूडकी स्थित 33 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 जिसमें वर्तमान में मात्र 6–8 एम0एल0डी0 सीवेज ही प्राप्त हो रहा है की अनप्रयुक्त क्षमता का उपयोग रूडकी में सोलानी नदी में गिर रहे नालों की टेपिंग के श्राव के शोधन हेतु प्रयोग किये जाने हेतु परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को अनापत्ति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

7/2/24
महाप्रबन्धक

"जल संचय–जीवन संचय" "कृपया जल स्त्रोतों को प्रदूषित होने से बचाईये।"
वैधानिक चेतावनी– जल स्त्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।

Item No. 15 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 632/2022

V K Tyagi Applicant

Versus

State of Uttarakhand Respondent

Date of hearing: 29.01.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: None

Respondent: Mr. Rahul Verma, Additional Advocate General for Respondent no. 1 to 4 and 6 with Mr. P.L. Shah, ADM Haridwar.
Mr. Ankit Verma, Advocate for Respondent no. 7- State of U.P.
With Mr. Vikas Tyagi, Executive Engineer, NDGC.
G.G. George, Advocate for Respondents no. 8 and 9.
Mr. Mukesh Verma, Advocate for UKPCB (through VC).

ORDER

1. The issue involved in this Original Application relates to encroachment for cultivation on the land of river Solani, a tributary of river Ganga, which is obstructing its flow. further grievance is about discharge of untreated sewage in river Solani which is creating health hazards and converting the river into a drain.

2. Additional reply by way of affidavit on behalf of District Magistrate, Haridwar, Uttarakhand, in compliance of orders of the NGT dated 05.07.2023 and 10.10.2023, has been filed which reveals that there are eight nallahs in Jagjeetpur which are untapped and discharging untreated sewage in the river. As per the report, one STP of 20 MLD capacity near Machhi Mohalla and another STP of 2 MLD capacity near Adarsh Nagar has been proposed and some process has been initiated for that but in the report no concrete plan for starting or completing the

construction of the STPs has been disclosed. The report further states that the work of survey of flood plain zone on the river Solani has been done and the workshop is proposed to be done in the first week of the month and after that demarcation work of flood frequency for different periodic of 5 years, 10 years, 25 years, 50 years, 100 years will be done and all these work will be completed till March, 2024.

3. Learned Counsel for the State of Uttarakhand has submitted that within a month, the work of demarcation of flood plain zone of river Solani within the State of Uttarakhand will be completed.

4. Hence, we direct Engineer-in-Chief of Irrigation Department of State of Uttarakhand to file an affidavit within one week by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF clearly stating that the work of the completion of demarcation of flood plain zone will be completed by 31.03.2024.

5. It is undisputed that the untreated sewage of eight drains in Jagjeetpur is directly discharged in river Solani. The State of Uttarakhand in its reply will also indicate the proposed plan to tap these drains expeditiously within a time bound manner.

6. Mr. Vikas Tyagi, Executive Engineer, Irrigation Department has appeared online by submitting that he is appearing for Respondent No. 7. Respondent no. 7 is the Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh. On the previous date on 10.10.2023, the Counsel for Respondent Nos. 7 to 9 had sought time to file response. No response has been filed on behalf of respondent no. 7. Page 241 of the paper-book has been referred by the Executive Engineer as also Counsel for the State submitting that it is response of the respondent no. 7 but on perusal thereto, we do not find it

to be the response as Page 241 appears to be some unsigned, undated note and page 242 and 243 are some internal correspondences. Hence, the previous order of the Tribunal has not been complied with. Learned Counsel for State of UP submits that he is representing respondent no. 7. The Tribunal does not appreciate the practice of any Officer appearing at the instance of any other Officer and making the submission without Tribunal's direction though the concerned impleaded Officer is already represented though the Counsel. Learned Counsel for respondent no. 7 submits that response on behalf of respondent no. 7 will be filed within one week.

7. The response of NMCG has been filed stating the following:-

> *"5. That the concerned activities along the Sonali river falls under the administrative control and maintained by the Irrigation department of the State of U.P. However, over a period of time, the direction of river flow has moved towards agricultural land belonging to the private individual person.*
>
> *6. That the State Government may take necessary steps for Interception & Diversion (I&D) of the above mentioned drains to the existing STP as the existing STP in Roorkee is hardly getting 20% of its design capacity flows at present.*
>
> *7. That as regards the floodplain zonation, the necessary steps may also be taken by the State Government."*

8. It will be open to the State Authorities to duly consider the response of the NMCG and take appropriate remedial action and also to file their proposed action/action taken report in pursuance to the response of the NMCG.

9. List this matter on 10.04.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

January 29, 2024
Original Application No. 632/2022
SN.